



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN - U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष - 0145-2644501, फेक्स - 0145-2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय)/अ.अं.-II/2018-19/प्रे 3220 दि: 30-1-2019

आदेश

विषय:- जले हुये/खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

निगम द्वारा समय-समय पर जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने से सम्बन्धित प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. जले/खराब हुये ट्रांसफार्मर का पंजीकरण :-

उपभोक्ता द्वारा ट्रांसफार्मर जलने/खराब होने की शिकायत, निम्नलिखित माध्यमों से करवायी जा सकती है।

- टोल फ्री नं. 18001806565 या 1912
- सशुल्क न. 0145-2672026
- <http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl> के होम पेज पर चैट द्वारा.
- एस.एम.एस. द्वारा - 9414000783
- व्हाट्स ऐप फोन नं. - 9414000783
- ईमेल आईडी - ccavvnl@gmail.com
- फेसबुक आईडी- AVVNLAjmer (Facebook Messenger: CCCAvvnl)
- ट्विटर - @cccavvnl
- “ऊर्जा सारथी” मोबाईल ऐप
- खण्ड कार्यालय के उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर/ फोन द्वारा।

उपरोक्त माध्यमों से दर्ज सभी शिकायतों का उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर शिकायत सेवा संख्या आंशिक किया जाना अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता सीधे ही उपखण्ड/खण्ड कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाता है तो खण्ड/उपखण्ड कार्यालय द्वारा शिकायत को “उपभोक्ता सेवा केन्द्र” में पंजीकृत करवाना आवश्यक है। इसके पश्चात शिकायत को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

2. शिकायत का सत्यापन:-

- दर्ज शिकायत के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता/फीडर इन्चार्ज के द्वारा मौके पर जांच की जावेगी। यह देखा गया है कि कई बार ट्रांसफार्मर के एलटी साईड/एमसीबी इनकमिंग/आउटगॉइंग टर्मिनल/मीटर टर्मिनल पर लूज कनेक्शन अथवा एमसीबी/मीटर खराब होने के कारण आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलते हैं। खराब ट्रांसफार्मर की उपखण्ड कार्यालय में आने के पश्चात मेगर (Meggar) जांच की जावे। ट्रांसफार्मर की मेगर जांच के

[Handwritten signature]

- दौरान यदि एचवी वाईडिंग (HV Winding) की मेगर वैल्यु खराब मिलती है तो ट्रांसफार्मर को खराब मानकर ट्रांसफार्मर की Failure Report बनाई जावे एवं Failure Report में आवश्यक रूप से मेगर वैल्यु अंकित की जावे। यदि ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में खराब हुआ है तो इसकी सूचना तुरन्त ट्रांसफार्मर निर्माता कम्पनी एवं अधीक्षण अभियन्ता (पदार्थ प्रबन्धन) को प्रेषित की जावे।
- (ii) यदि मेगर जांच के दौरान एचवी वाईडिंग (HV Winding) की मेगर वैल्यु सही मिले तो उपखण्ड स्टोर में एमएण्डपी बॉक्स की वेल्डिंग काटकर ट्रांसफार्मर की मेगर से जांच किया जाना आवश्यक है। यदि जांच के दौरान ट्रांसफार्मर सही पाया जाये एवं केबल, वायरिंग, एमसीबी या अन्य कोई कारण से सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही थी तो ट्रांसफार्मर को जला हुआ घोषित नहीं किया जाये एवं ऐसे ट्रांसफार्मर को दुरस्त कर दुबारा उपयोग में लिया जावे। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि ट्रांसफार्मर बॉडी पर लगी पॉलीकार्बोनेट सील को काट नुकसान न हो।
- (iii) यदि ट्रांसफार्मर का मीटर बॉक्स खोलकर मेगर जांच करने पर ट्रांसफार्मर खराब पाया जाये (LV Winding की मेगर वैल्यु ठीक नहीं है) तो ट्रांसफार्मर को खराब मानकर बिन्दु संख्या 2(i) में वर्णित कार्यवाही की जावे।


3. ट्रांसफार्मर को बदलना:-

मौके पर ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होने की स्थिति में खण्ड स्तर पर उपलब्ध ट्रांसफार्मर बदलने हेतु उपलब्ध संसाधनों द्वारा जले/खराब ट्रांसफार्मर को निर्धारित अवधि के अन्दर बदलने की त्वरित कार्यवाही की जावे। जले/खराब ट्रांसफार्मर को अनिवार्य रूप से उपखण्ड कार्यालय में लाकर जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। खराब/जला ट्रांसफार्मर उपखण्ड स्टोर में जमा नहीं होने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता उत्तरदायी होंगे। स्टोरकीपर द्वारा ट्रांसफार्मर Failure Replacement रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसे सहायक अभियन्ता द्वारा समय-समय पर हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह जले/खराब ट्रांसफार्मरों को वृत्त स्टोर (ACOS) में जमा करवाना सुनिश्चित किया जावे।

जले/खराब ट्रांसफार्मर को निर्धारित अवधि के अन्दर बदलना सुनिश्चित करने के लिए सहायक अभियन्ता अपने स्टोर में सभी क्षमताओं के सिंगल फेज/ थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पर्याप्त स्टॉक रखेंगे।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से


20.1.79
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर